(b) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the Annual Report and Accounts of the Food Corporation of India, for the year 1996-97 and 1997-98 within the stipulated period.

[Placed in Library *See* No. LT—2667/99]

I. Notification of Ministry of Human Resource development.

II. Report and Accounts (1997-98) of Educational consultants India Ltd. and related papers.

III. Report and Accounts (1997-98) of Bharat Immunologicals and Biological Corpns. Ltd. Bulandshahr and related papers.

IV. Report and Accounts (1997-98) of Various Technical Training and Research Institutes and Universities and related papers.

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) श्रीमान मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अधीन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (नियमित रोजगार अध्यापकों के लिए पत्राचार माध्यम से बी०एड० के लिए दिशानिर्देश) (संशोधन) विनियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ 28-3/96 एन०सी०टी०ई०, दिनांक 25 अप्रैल, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2051/98]

II.(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में):—

(i)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए एजुकेशन कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2675/99]

(iii)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए भारत इम्युनोलाजिकल्स एण्ड बायोलाजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिंदी में)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2676/99]

(iv) (i) (1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 34 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में):—

(क) 1996-97 के वर्ष के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए

विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिंदी में)। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2575/99]

(ii) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में):—

(i)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2509/99]

(ii)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इन्स्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2511/99]

(iii)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट चंडीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इन्स्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2510/99]

(iv)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2513/99]

(v)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट, आफ पेलियोबोटेनी लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2514/99]

(vi)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो-मैग्नेटिज्म, मुंबई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2674/99]

(vii)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेन्टर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2673/99]

(viii)(क) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 30 की उप-धारा (4) के अधीन 1996-97 के वर्ष के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2680/99]

(ग) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (4) के अधीन 1997-98 के वर्ष के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(घ) ऊपर (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2681/99]

(ix)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2517/99]

(x)(क) हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अधीन 1997-98 के वर्ष के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2518/99]

(xi)(क) 1997-98 के वर्ष के लिए तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फार ऑल चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2672/99]

(xii) 1997-98 के वर्ष के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिंदी में) [पुस्तकालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2678/99]

(xiii) 1996-97 और 1997-98 के वर्षों के लिए योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिंदी में) [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2679/99]

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal): Sir, may I make a small suggestion in this connection? All the items, except the papers that Dr. Joshi has laid on the Table under Item Nos. 2, 3 and 4, relate either to annual reports or annual reports and annual accounts of various institutions under the jurisdiction of the Ministry. He also appends, in each case, the reasons for the delay in presentation. Now, since the delay, in the case of each institution, obviously, is due to the general problem, and not specific to any particular institution, may I make a suggestion? The suggestion is, his Ministry may kindly discuss the issue with the Comptroller and Auditor General so that the problem can be sorted out and

this kind of a thing is not repeated year after year.

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Sir, it is a bad reflection on the administration of the Aligarh Muslim University. The Annual Report of the Central University for 1996-97 is being presented now. This is the Annual Report for 1996-97 of a Central University.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, these reported come to us after due audit and there are certain audit paras which these institutions have to meet. Thereafter, their courts have to meet, pass them, and finally they come to us. The Ministry does not deal with them. Most of them are autonomous institutions. We try to see that they come to us on time. It is their own working, their own interaction with the Comptroller and Auditor General, meeting the paragraphs/objection holding their meetings and, thereafter, coming to us. So, we are not directly dealing with them.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Sir, actually, the point is...

MR. CHAIRMAN: No, No. It is over. Now, Mr. Nitish Kumar.

Notifications of Ministry of Railways

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways notification G.S.R. 24(E), dated January 13, 1999, publishing the Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Amendment Rules, 1998, under Section 103 of the Railways Act, 1989.

[Placed in Library *See* no. LT. 2591/99]

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways notification G.S.R. 96(E), dated January 11, 1999, publishing the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1999, under sub-section (3) of Section 30 of the Railways Claims Tribunal Act, 1987.

[Placed in Library. *See* no. LT. 2592/99]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following notifications of the Ministry of Railways, under Section 60 of the Railways Act, 1989:—

(i) G.S.R. 704(E), dated December 16, 1997, publishing the Passengers (Change of names) Amendment Rules, 1997.

(ii) G.S.R. 842(E), dated September 21, 1998, publishing the authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Amendment) Rules, 1998.

[Placed in Library for (i) and (ii) *See* no. LT-2591/99]

I. Report and Accounts (1997-98) of various National Medical Institutes and various Research Institutes in yoga and naturopathy and related papers.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE. SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 1997-98, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library for (a) to (c) See no. LT. 2482/99]